

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

--: आदेश ::--

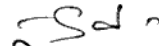
क्रमांक-105/दो-11-16/2002 (भाग-दो)

दमोह, दिनांक 10 मार्च, 2026

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 में वर्णित पदोन्नति संबंधी सुसंगत प्रावधान अनुसार एवं स्थापना पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 10.03.2026 को अनुमोदित करते हुए, स्थापना पर कार्यरत सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो के रिक्त पद वेतनमान 5200-20200+2400/- ग्रेडपे (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल-6 वेतनमान 25300-80500/-) में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर, अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नानुसार शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जाता है :-

स. क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री मकुन्दीलाल रैकवार, सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो
2	श्री अतीकुर्रहमान, सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो
3	श्री इमाम खान, सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो
4	श्री धर्मेन्द्र प्रजापति, सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो
5	श्री राहुल कुमार मेश्राम, सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो
6	श्री सचिन कोरी, सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो

टीप- पदोन्नत शासकीय सेवक, पदोन्नति के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर, निर्धारित प्रारूप पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प, इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

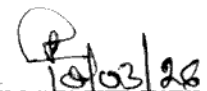

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांक-974/दो-11-16/2002 (भाग-दो)

दमोह, दिनांक 10 मार्च, 2026

प्रतिलिपि :-

- 1- जिला कोषालय अधिकारी दमोह
- 2- श्री मकुन्दीलाल रैकवार, सहायक ग्रेड-तीन दमोह
- 3- श्री अतीकुर्रहमान, सहायक ग्रेड-तीन दमोह
- 4- श्री इमाम खान, सहायक ग्रेड-तीन दमोह
- 5- श्री धर्मेन्द्र प्रजापति, सहायक ग्रेड-तीन दमोह
- 6- श्री राहुल कुमार मेश्राम, सहायक ग्रेड-तीन दमोह
- 7- श्री सचिन कोरी, सहायक ग्रेड-तीन पथरिया
- 8- लेखापाल/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/वेतन लिपिक/पेंशन लिपिक/ऑफिस मोहरीर/एच.एम.आर.एस. लिपिक/ऑफिस टाईपिस्ट/आवक-जावक लिपिक/कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)